निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13/2006
दायरा दिनांक :– 22.02.2006
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल
2. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण
3. शांति बाई पुत्री हरनारायण
4. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया तह. बारां

बनाम

1. रमेशचंद्र पुत्र प्रभूलाल
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
3. कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल

3/1 रवि शर्मा पुत्र कुंजबिहारी
3/2 रानू शर्मा पुत्र स्व. कुंजबिहारी
3/3 रमा शर्मा पुत्री स्व. कुंजबिहारी
3/4 कलावती बेवा स्व. कुंजबिहारी जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

4. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
5. सनोज पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
6. शांति बाई बेवा स्व. गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
7. कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश जाति माली
8. गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति माली
9. जसोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी समसपुर तह. बारां।
10. प्रेमलता गोयल पत्नी म हेन्द्र कुमार जाति महाजन नि0 बारां द्वारा बृजमोहन सुखदेव किराना मर्चेन्ट मैन बाजार बारां जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30.9.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट वादी
2 श्री रमेशचंद गोयल एडवोकेट प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आरटीएक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम समसपुर तह. बारां में खसरा नं. 367 रकबा 0.35 है., ख.नं. 369 रकबा 0.81 है., ख.नं. 370 रकबा 1.10 है., ख.नं. 380 रकबा 0.35 है., ख.नं. 382 रकबा 0.35 है., ख.नं. 387 रकबा 0.38 है., 389 रकबा 0.64 है., ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. कुल 8 किता रकबा 10.10 है. भूमि स्थित है जिसे इस वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमियों के साबिक ख.नं. 278 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 279 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 270 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 281 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ख.नं. 283 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 309 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 311 रकबा 2 बीघा ख.नं. 314 रबि 3 बीघा 3 बिस्वा ख.नं. 318 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ख.नं. 470 रकबा 35 बीघा ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वां ख.नं. 309/576 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 68 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित थी जो मद नं. 1 में वर्णित भूमियां के नम्बर सं. 2015 से 2024 की जमाबंदी में दर्ज थें।

वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमियों के सं. 2011 से 2014 ग्राम समसपुर के नम्बर ख.नं. 1012/391–392–393 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 1013/301 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख.नं. 1018/392 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ख.नं. 1014/394 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख.नं. 1015/394 रकबा 18 बिस्वा ख.नं. 374/395 रकबा 2 बिस्वा ख.नं. 397 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 402 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ख.नं. 403 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख.नं. 404 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 633/405 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. 406 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ख.नं. 408 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ख.नं. 437 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा ख.नं. 468 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 70 बीघा 6 बिस्वा है। यह भूमियां छीतरलाल बेटा मोहनलाल व हरनारायण बेटा नाथ्या ब्राम्हण निवासी खेडली के नाम बॉट बराबर से दर्ज थी।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां फलत छीतरलाल पुत्र मोहनल सिह की थी छीतरलाल पुत्र गिरधर की नही थी दोनो जाति से ब्राम्हण है व एक गांव के निवासी है।

इस प्रकार समस्त भूमियां खेडली भेडोलिया व समसपुर की नाथू सिंह व छीतर पुत्र मोहनलाल उर्फ मोहन सिह की है न कि छीतरलाल पुत्र गिरवर की इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 6 जो छीतरलाल पुत्र गिरवर के वंशज है का इन भूमियों में कोई हक नही है चूंकि छीतरलाल पुत्र मोहन सिह ने वादी कम 1 को दत्तक पुत्र लेल लिया था तथा वादी कम 1 ही वादग्रस्त भूमियां के 1/2 भूमियां का हकदार है तथा 1/2 भूमियां वादी कम 2 की है वादी कम 3 व 4 उनकी बहिने है इस कारण उनका भी वादी कम 2 के साथ हिस्सा बनता है।

ग्राम खेडली भेडोलिया, तहसील बारां में खाता नं. 3 में 202 बीघा 10 बिस्वा आराजी थी इसके बाबत न्यायालय महकमा खास बारां में मि.नं. 6/27 बउनवान छीतरलाल बनाम हरनारायण मुकदमा चला था जिसमें पूर्ण खसरा दिया है तथा उसमें वाद पत्र की मद नं. 5 में वर्णित सजरे को ही सही मानकर निर्णय दिया गया था जिसके मुताबिक प्रतिवादी कम 1 ता 6 का वादग्रस्त भूमियों में कोई हक नही बनता है। क्योकि वादग्रस्त भूमियां ग्राम समसपुर की भी वाद पत्र की मद नं. 5 में वर्णित सजरे [illegible] ही आयी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त भूमियां सं. 2011 से 2014 की जमाबंदी में छीतरलाल पुत्र मोहन सिंह व हरनारायण बेटा नत्था उर्फ नाथू सिंह ब्राम्हण के नाम थी जो 15 किता 70 बीघा 6 बिस्वा थी तथा छीतरलाल का फोत होना बताकर इंतकाल नं. 63 दिनांक 22.06.1957 को प्रभूलाल ने छीतरलाल बेटा बनकर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि प्रभूलाल का बेटा नही था यह छीतरलाल ला ओलाद फोत हुआ था तथा इस छीतरलाल ने वादी कम 1 को दत्तक पुत्र ले लिया था क्योकि इस छीतरलाल की खेडली भेडोलिया की भूमियों में वादी कम 1 का नाम बतोर दत्तक पुत्र दर्ज हुआ था। यह प्रभूलाल छीतरलाल का पुत्र था किन्तु छीतरलाल के बाप का नाम गिरवर था तथा इस छीतरलाल के बाप का नाम मोहन सिंह था तथा यह भूमियां छीतरलाल पुत्र मोहन सिंह की थी न कि छीतरलाल पुत्र गिरवर की इस प्रकार प्रभूलाल के फोत होने के बाद प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया व गोपी बल्लभ के फोत होने पर प्रतिवादी कम 4 ता 6 का नाम दर्ज हो गया जो खिलाफ कानून है क्योकि वादग्रस्त भूमियों पर आये दिन वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। इस कारण इंतकाल नं. 63 दिनांक 22.06.1957 व उसके बाद की सभी प्रविष्टियां गलत रूप से दर्ज हुयी है जो निरस्त होने योग्य है।

छीतरलाल पुत्र मोहन सिंह के फोत होने पर ग्राम खेडली भेडोलिया की आराजी 6 किता 202 बीघा 12 बिस्वा पर इंतकाल नं. 18 दिनांक 03.03.1966 से वादी कम 1 का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज हुआ है जिसमें पूर्व फैसला व ग्राम पंचायत की तस्दीक है उपरांत तहकीकात करके दर्ज किया है जिसमें कोटा रियासत के समय में ही वादी कम 1 को छीतरलाल का दत्तक पुत्र माना था। इस कारण ग्राम समसपुर की वादग्रस्त भूमियों में 1/2 में वादी कम 1 व 1/2 में वादी कम 2 ता 4 का नाम बांट बराबर से दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने ऐसा न करके वादीगण के साथ भारी अन्याय किया है व गलत रिकार्ड बनाया है जिसे वादीगण निरस्त करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी कम 1 ता 6 ने अपने गलत नाम के इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियाकें में बिना बंटवारे करवाए वाद ग्रस्त भूमियों में से ख.नं. 367 रकबा 8.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 7 किता रकबा 3.98 है. में से ग्राम समसपुर तहसील बारां का 1/2 हिस्सा जो प्रतिवादी कम 1 ता 6 के नाम गलत रूप से अंकन चला रहा था का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 21.06.2005 को प्रतिवादी कम 7 ता 9 के नाम गलत बेचान कर दिया है जबकि बेचान की गयी भूमियां का वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 6 के मध्य बंटवारा भी नही हुआ है तथा समस्त भूमियों पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है यह बेचान शून्य है क्योकि बिना बंटवारा करवाया गया बेचान शून्य बेचान की परिभाषा में आता है क्योकि प्रतिवादी कम 7 ता 9 का कभी भी कब्जा नही है।

इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 ता 6 ने दिनांक 01.06.2005 को ग्राम समसपुर की आराजी ख.नं. 509 रकबा 6.12 है. में से 1/2 प्रतिवादी कम 10 के नाम रजिस्टर्ड बेचान नामे से बेचान कर दिया जबकि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 6 के मध्य ख.नं. 589 का बंटवारा नही हुआ क्योकि प्रतिवादी कम 1 ता 6 का 1/2 हिस्से में जे नाम दर्ज हुआ वह गलत अंकन की वजह से हुआ है इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 6 को अपने गलत नाम के आधार पर वादग्रस्त भूमि का 1/2हिस्सा प्रतिवादी कम 10 को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था इस कारण दिनांक 01.06.2005 को प्रतिवादी कम 10 को किया गया बेचान शून्य घोषित होने योग्य है। क्योकि प्रतिवादी कम 10 ने अभी तक वाद भूमि पर कब्जा प्राप्त नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 शून्य बेचान नामो के आधार पर खरीद की गयी भूमियों के 1/2 हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जबकि अजनबी क्रेता को बिना बंटवारा करवाए खरीद किए गए भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है क्योकि वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 20.08.2005 को प्रतिवादी क्रम 7 ता 10 वादग्रस्त भूमियां पर जबरन कब्जा करने आ गए बामुश्किल वादीगण के समझाने पर वापस गए लेकिन एलानियां धमकी दी कि आयंदा मौका मिलते ही वादग्रस्त भूमियां पर जबरन कब्जा करके रहेंगे अतः एवं वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही करे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियां पर शांति पूर्व काश्त करने देवे।

वादीगण ने दिनांक 26.11.2005 को राजस्थान सरकार के विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस कानूनी दिलवा दिया है। जिसकी मियाद 26.01.206 को समाप्त हो गयी है किन्तु उन्होने कोई सहायता नही पहुंचायी इस कारण भूधारक होने के कारण प्रतिवादी क्रम 11 को पक्षकार बनाया जा रहा है।

वाद कारण दिनांक 20.08.2005 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने दिनांक 26.11.2005 को नोटिस देने दिनांक 26.01.2006 को मियाद नोटिस समाप्त होने पर बमुकाम समसपुर तहसील बारां उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 7 ता 9,10 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा जबकुल जबान पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम समसपुर सम्वत 2059–62 खात सं. 44 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2038–57 ग्राम समसपुर नकल खातोनीबंदोबस्त सम्वत 2011–14 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2015–24 ग्राम समसपुर नकल आदेश मु.नं. 6/27 छीतरलाल बनाम हरनारायण नकल अपील उनवान छीतरलाल बनाम हरनारायण नकल निर्णय दिनांक 21.09.1939 छीतरलाल बनाम हरनारायण नकल वाद पत्र तसदीक अनवान छीतरलाल बनाम हरनारायण नकल नामांतकरण सं. 63 ग्राम समसपुर नकल नामांतकरण सं. 18 ग्राम समसपुर नकल बयनामा दिनांक 23.05.2005 नकल विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2005 नकल खतेनी बंदोबस्त सम्वत 2031–38 ग्राम समसपुर पेश की गई। साक्ष्यवादी में PW1, ओमप्रकाश PW2 नवनीतलाल के बयान कराए गए। प्रतिवादी की ओर से नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2011–14 ग्राम समसपुर नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015–24, 2031–34 नकल जमाबंदी ग्राम समसपुर सम्वत 2059–62 खाता सं. 44 नकल नामांतकरण सं. 63 ग्राम समसपुर नकल नामांतकरण सं. 209 ग्राम समसपुर नकल नामांतकरण सं. 329 नकल नामांतकरण सं. 273 नकल नामांतकरण सं. 754 नकल नामांतकरण सं. 187 नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्पत 2058–61 खाता सं. 79 नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2015–24 ग्राम समसपुर नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1960 नकल वाद पत्र उनवान गोपीबल्लभ बनाम हरनारायण नकल वाद पत्र आदान गोपीबल्लभ बनाम हरनारायण नकल जवाब दावा उनवान गोपीबल्लभ बनाम हरनारायण नकल अधिकतम खैत्र सम्बंधी प्रपत्र 4 नकल वकालतनामा हरिशचंद गोयल एड. का नकल नोटिस 80 सीपीसी, नकल दावा प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश नकल जवाब दावा प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश, नकल इकरारनामा बेचान दिनांक 20.[illegible] नकल वाद पत्र रमेशचंद बनाम ओमपकाश पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 रमेशचंद के बयान कराए गए।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है मुताबिक राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

दावा का निर्णय किया जावें कि ग्राम समसपुर तहसील बारां में जमाबंदी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या नया 10 पुराना 13 से भूमि खसरा नं. 589 रकबा 6.12 है. अवस्थित है। वर्तमान में यह भूमि अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 अशोक कुमार पुत्र श्री गोपीवल्लभ हिस्सा 1/24 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 सनोज कुमार पुत्र गोपीवल्लभ हिस्सा 1/24 रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 शांति बाई पत्नी गोपीवल्लभ हिस्सा 1/24 शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 दर्ज है।

उक्त भूमि के खाते से अनोख बाई पुत्री हरनाररायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 का नाम हटाया जावेगा तथा इनके स्थान पर यह भूमि अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण गोपीवल्लभ व शांति बाई पत्नी गोपीवल्लभ का हिस्सा 1/4 रमेश पुत्र प्रभूलाल का हिस्सा 1/4 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 तथा रवि शर्मा रानू शर्मा पुत्रगण कुंज बिहारी रमा शर्मा पुत्री कुंज बिहारी कलावती बेवा कुंज बिहारी हिस्सा 1/4 जातिगण ब्राम्हण निवासीगण खेडली भेडोलियान हिस्से में रहेगी। जिसका खातेदार घोषित किया जावेगा।

ग्राम समसपुर तहसील बारा की भूमि जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 24 पुराना 26 में ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 3.98 है. जिसके वर्तमान खातेदार अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा बाई पत्नी रामकिशन हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्स 1/8 व शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 का नाम वर्तमान में दर्ज है।

उक्त खातें में से अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 व शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 का नाम खाते से हटाया जावेगा तथा इनके स्थान पर यह भूमि अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण गोपीवल्लभ व शांति बाई पत्नी स्व. गोपीवल्लभ का हिस्सा 1/8 रमेश पुत्र प्रभूलाल का हिस्सा 1/8 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 तथा रवि शर्मा रानू शर्मा पुत्रगण कुंज बिहारी रमा शर्मा पुत्री कुंजबिहारी कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/8 दर्ज किया जावेगा तथा खातेदार टीनेंट घोषित किया जावेगा एवं कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा पत्नी रामकिशन हिस्स 1/8 पूर्ववत रहेगा तथा वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकाश की कोई मदाखलत नही करेंगे।

हम रमेशचंद वगैरह गिरवर सिंह की संताने है, जबकि ओमप्रकाश वगैरह मोहन सिंह की संताने है। ओमप्रकाश वगैरह के परिवावालों ने यह भूमियों इनको दान में दी थी तथा समसपुर की भूमियां अब रमेशचंद वगैरह के नाम दर्ज कर दी जाये इसमें ओमप्रकाश वगैरह को कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार ग्राम खेडली भेडोलिया की भूमिया ओमप्रकाश वगैरह की है जो उनकी ही रहेगी इसमें रमेशचंद वगैरह कोई आपत्ति नही कर सकेंगे। पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा धारा 212 आटीए [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया था, जिसकी अपील आर.ए.ए. कोटा में हुई थी वहा से [illegible] हुआ है वह नोट भी हटेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत राजीनामाव पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी ग्राम समसपुर सम्वत 2059–62 के अनुसार गोपीबल्लभ, रमेश, रामचन्द्र, कुंजबिहारी आ. प्रभूलाल हिस्सा 1/2 ओमप्रकाश, नवनीतलाल पुत्र हरनारायण, शांति बाई, अनोख बाई पुत्रियां हरनारायण हिस्सा 1/2 जमाबंदी की कॉलम नं. 11 से 17 में मृतक गोपीबल्लभ के वारिसान का नाम नामांतकरण सं. 329 से दर्ज करने का नोट अंकित है। नामा. सं. 371 दिनांक 03.05.2005 से ख.नं. 367,369,370,380,382,387,389 कुल किता7 रकबा 3.98 है. में से खातेदार अशोक कुमार, मनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ, शांति बाई बेवा गोपीबल्लभ, रमेश, रामचन्द्र, कुंजबिहारी आ. प्रभूलाल ने अपना हिस्सा 1/2 जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र से बेचान कर दिया है केता कांति बाई पत्नी बद्रीलाल हिस्सा 1/4 गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश व जसोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति माली के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है, इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में थी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी सहमति से राजीनामा हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम समसपुर तह. बारां की आराजी ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. में से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वः गोपी बल्लभ का हिस्सा 1/4 रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 तथा रवि,नानू पुत्र कुंजबिहारी, रमा पुत्र कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 3.98 है. मे से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जाता है तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपी बल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वः गोपी बल्लभ हिस्सा 1/8, रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8, रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 रवि,रानू पुत्र कुंजबिहारी, रमा पुत्री कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा पत्नी रामकिशन हिस्सा 1/8 यथावत रहेगा। वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 13/2006	धारा अन्तर्गत 88,89,90,91,92188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :
: श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
ति :अभिभाषक वादी:– श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादी– रमेश चन्द गोयल	

वाद शीर्षक

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल
2. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण
3. शांति बाई पुत्री हरनारायण
4. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया तह. बारां

बनाम

1. रमेशचंद्र पुत्र प्रभूलाल
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
3. कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल

3/1 रवि शर्मा पुत्र कुंजबिहारी

3/2 रानू शर्मा पुत्र स्व. कुंजबिहारी

3/3 रमा शर्मा पुत्री स्व. कुंजबिहारी

3/4 कलावती बेवा स्व. कुंजबिहारी जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

4. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
5. सनोज पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
6. शांति बाई बेवा स्व. गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
7. कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश जाति माली
8. गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति माली
9. जसोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी समसपुर तह. बारां।
10. प्रेमलता गोयल पत्नी म हेन्द्र कुमार जाति महाजन नि0 बारां द्वारा वृजमोहन सुखदेव किराना मर्चेन्ट मैन बाजार बारां जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम समसपुर तह. बारां की आराजी ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. में से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वः गोपी बल्लभ का हिस्सा 1/4 रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 तथा रवि,नानू पुत्र कुंजबिहारी, रमा पुत्र कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 3.98 है. मे से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जाता है तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपी बल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वः गोपी बल्लभ हिस्सा 1/8, रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8, रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 रवि,रानू पुत्र कुंजबिहारी, रमा पुत्री कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/8 का खातेदार कृष्क घोषित किया जाता है एवं कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा पत्नी रामकिशन हिस्सा 1/8 यथावत रहेगा। वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा ... जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .... को निर्... गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

संशोधित डिक्री

[illegible] 13/2006	धारा अन्तर्गत **88,89,90,91,92188** आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक : **27.04.2022**
श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
:अभिभाषक वादीः– श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः– रमेश चन्द गोयल	

वाद शीर्षक

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल
2. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण
3. शांति बाई पुत्री हरनारायण
4. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया तह. बारां

बनाम

1. रमेशचंद्र पुत्र प्रभूलाल
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
3. कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल

3/1 रवि शर्मा पुत्र कुंजबिहारी

3/2 रानू शर्मा पुत्र स्व. कुंजबिहारी

3/3 रमा शर्मा पुत्री स्व. कुंजबिहारी

3/4 कलावती बेवा स्व. कुंजबिहारी जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

4. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
5. सनोज पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
6. शांति बाई बेवा स्व. गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
7. कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश जाति माली
8. गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति माली
9. जसोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी समसपुर तह. बारां।
10. प्रेमलता गोयल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति महाजन नि0 बारां द्वारा बृजमोहन सुखदेव किराना मर्चेन्ट मैन बाजार बारां जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां ज़िला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम समसपुर तह. बारां की आराजी ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. में से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वः गोपी बल्लभ का हिस्सा 1/4 रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/4 तथा रवि,रानू पुत्र कुंजबिहारी, रमा पुत्री कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 3.98 है. मे से अनोख बाई, ओमप्रकाश, नवनीतलाल, शांति बाई आ. हरनारायण का नाम खाते से खारिज किया जाता है तथा अशोक कुमार, सनोज कुमार पुत्र गोपी [illegible] गोपी बल्लभ हिस्सा 1/8, रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8, रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 रवि [illegible] कुंजबिहारी, रमा पुत्री कुंजबिहारी, कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/8 का खातेदार कृषक [illegible] कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/4 गायत्री पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 [illegible] हिस्सा 1/8 यथावत रहेगा। वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.04.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

Scanned with CamScanner